Dr.Uttam Kumar
SRAP College,Barachakia
Mob no-8210561032

Faculty -Commerce
Subject -Business Organisation
Class -2nd Semester
Session-2023-27

साझेदारी के गुण अथवा लाभ
(MERITS OR ADVANTAGES OF PARTNERSHIP)

अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से साझेदारी के गुणों अथवा लाभों का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है—

(I) वैधानिक गुण अथवा लाभ (Statutory Merits or Advantages)

(1) **सुगमता से स्थापना** (Easy Formation)—एकाकी व्यापार के समान साझेदारी व्यवसाय को स्थापित करने में किसी भी कानूनी अथवा वैधानिक औपचारिकताओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके निर्माण अथवा स्थापना में प्रारम्भिक व्यय भी अधिक नहीं होते है। व्यापार चलाने के लिए दो व्यक्ति आपस में समझौता करके इसे प्रारम्भ कर सकते हैं।

(2) **पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं** (Registration is not Compulsory)—भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार, साझेदारी का पंजीयन अनिवार्य न होकर ऐच्छिक है। अत: यदि साझेदार यह समझें कि फर्म का पंजीयन कराना उनके हित में है तो उसका पंजीयन करा सकते है अन्यथा नहीं। इसके विपरीत कम्पनी का पंजीयन कराना अनिवार्य है।

(3) **सम्बन्ध-विच्छेद में सुविधा** (Easy Separation)—किसी विपरीत अनुबन्ध के अभाव में, साझेदारी में कोई भी साझेदार उचित सूचना देकर साझेदारी से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर सकता है। यही नहीं, किसी साझेदार के दोषी पाये जाने पर शेष सभी साझेदारों की सर्वसम्मति पर उसे साझेदारी से निकाला भी जा सकता है।

(4) **अल्पमत को पूर्ण संरक्षण** (Minority Interest is Best Guarded)—साझेदारी में अल्पमत वाले साझेदारों को वैधानिक संरक्षण मिलता है। नीति सम्बन्धी अथवा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सभी साझेदारों की सहमति आवश्यक है। बहुमत द्वारा अल्पमत को दबाया नहीं जा सकता।

(5) **अवयस्क के हितों को वैधानिक सुरक्षा** (Minor's Interests are Safeguarded)—यद्यपि किसी साझेदारी व्यवसाय में अवयस्क को साझेदार नहीं बनाया जा सकता है परन्तु सभी साझेदारों की सहमति के केवल लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए अवयस्क को साझेदार बनाया जा सकता है। साझेदारी में अवयस्क के हितों की रक्षा कानून द्वारा की जाती है और वयस्क होने की अवस्था तक उसका दायित्व सीमित रहता है।

(6) **सुगमता से अन्त** (Easy to Dissolve)—साझेदारी का एक प्रमुख लाभ यह भी है कि इसका अन्त भी सुगमता से किया जा सकता है।

(7) **सुगमता से व्यवसाय में परिवर्तन** (Easy to Change Business)—साझेदार जब चाहें तब आवश्यकतानुसार साझेदारों की सर्वसम्मति से व्यवसाय में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए कोई वैधानिक औपचारिकता निभाने की आवश्यकता नहीं है।

(II) आर्थिक गुण अथवा लाभ (Economic Merits or Advantages)

(1) **ऋण लेने में सुविधा** (Easy to Get Loan)—प्रत्येक साझेदार का असीमित दायित्व तथा फर्म के कार्यों के लिए संयुक्त एवं पृथक् रूप से उत्तरदायी होने के कारण प्रत्येक साझेदार की साख बनी रहती है। ऋणदाता किसी भी साझेदार की निजी सम्पत्ति से धन वसूल कर सकता है, अत: अन्य व्यावसायिक संस्थाओं की अपेक्षा साझेदारी में ऋण सुविधा से प्राप्त हो जाता है।

(2) **अधिक प्रेरणा** (Greater Incentive)—साझेदारों में यह विश्वास कि वे ही सम्पूर्ण लाभ के भाजक और हानि के सहनकर्ता होंगे, उन्हें अधिक कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। उनका यह संकल्प होता है कि ''जीवित रहेंगे भी तो एक साथ और मरेंगे भी तो एक साथ।''

(3) **अधिक जोखिम वाले व्यवसायियों के लिए श्रेष्ठ संगठन** (Best Organization for Business having Greater Risk)—एक सामान्य कहावत है कि ''जितना अधिक जोखिम होगा, उतना ही अधिक लाभ होगा।'' यह कथन एक कटु सत्य होते हुए भी लोगों को अधिक जोखिम लेने के लिए प्रेरित करता है। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की जोखिम सहन करने की शक्ति अधिक होती है क्योंकि लाभ की भाँति हानि का भी साझेदार आपस में बँटवारा करते हैं जिसके परिणामस्वरूप जोखिम में कमी हो जाती है।

(4) **प्रबन्ध में मितव्ययिता** (Economy in Management)—साझेदारी में अधिक मितव्ययिता रहती है। यह भावना कि सम्पूर्ण लाभ के वे ही अधिकारी होंगे, उन्हें हर सम्भव तरीकों से व्ययों में कमी करने तथा मितव्ययिता से कारोबार करने के लिए प्रेरित करती है।